न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या : 2015/10

1. भूरा पुत्र जुगल्या जाति रैगर निवासी ग्राम दहमी खूर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर। (फौत दौराने वाद)

1/1 श्रीमती नारायणी देवी पत्नी स्व0 श्री भूरा राम उम्र 78 वर्ष जाति रैगर निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील व जिला जयपुर।

1/2 ग्यारसी लाल पुत्र स्व0 श्री भूरा राम उम्र 65 वर्ष जाति रैगर निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील व जिला जयपुर।

1/3 श्रीमती गोपाली देवी पुत्री स्व0 भूरा पत्नी श्री मन्नालाल उम्र 62 वर्ष निवासी–59, रैगरों का मोहल्ला, श्रीराम नगर, तहसीलद दूदू जिला जयपुर।

1/4 श्रीमती सुगनी देवी पुत्री स्व0 श्री भूरा राम पत्नी श्री छोटू रैगर उम्र 60 वर्ष निवासी–210क मौहल्ला रैगरो का साखून तहसील दूदू जिला जयपुर।

1/5 रामपाल पुत्र स्व0 श्री भूरा राम उम्र 56 वर्ष जाति रैगर निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील व जिला जयपुर।

1/6 श्रीमती लाडा देवी पुत्री स्व0 श्री भूरा राम पत्नी श्री जाति रैगर निवासी दहमी खुर्द, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

1/7 श्रीमती सीता देवी पुत्री स्व0 श्री भूरा राम पत्नी श्री चन्दालाल अटल उम्र–42 वर्ष जाति–रैगर निवासी बैनाड रेल्वे स्टेशन के सामने, बोयतावाला, जयपुर।

–वादी

बनाम

1. सोन्या पुत्र नानूडा जाति रैगर निवासी ग्राम दहमी खूर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. पिदमण पुत्र मोमनराम ... रोड बनीपार्क जयपुर।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर जयपुर।

– प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:18:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

दावा बाबत् घोषणा, दुरस्ती इंद्राज व स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट 1955
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 11 जाप्ता
दीवानी सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

निर्णय   दिनांक: 25.01.2022

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें अंकित है कि उक्त उनवानी वाद वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 की कृषि भूमि खसरा नंबर 625 रकबा 0.13 हैक्टेयर ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर की खातेदारी वादी के नाम किये जाने के आशय से गलत तथ्यों के आधार पर मान्य न्यायालय में प्रस्तुत किया है। उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 625 व अन्य भूमि बाबत् एक राजस्व वाद घोषणा, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् वाद संख्या 57/2008 उनवानी श्यामसुन्दर बनाम भूरा के नाम से इसी मान्य न्यायालय में दायर किया गया जिसमें भूरा पुत्र जुगल्या प्रतिवादी संख्या 1 व प्रार्थी सोन्या पुत्र नानूडा प्रतिवादी संख्या 3 रहे हैं। इस वाद में घोषणा डिक्री दिनांक 29.06.2009 को पारित की जा चुकी है एवं विभाजन डिक्री दिनांक 06.04.2010 को जारी की जा चुकी है। वाद संख्या 57/2008 उनवानी श्यामसुन्दर बनाम भूरा में खातेदारी घोषणा व विभाजन के आधार मुख्य रूप से दिनांक 20.01.1986 को हुआ एक राजीनामा जो न्यायालय में 28.08.85 को पेश किया। जो उस समय विचाराधीन वाद संख्या 115/84 उनवानी सोन्या बनाम भूरा में पेश किया गया था जिसमें सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर थे व भूरा पुत्र जुगल्या की अंगूठा निशानी भी न्यायालय के समक्ष की गई थी जिसमें खसरा नंबर 625 को सोन्या पुत्र नानूडा के कब्जे खातेदारी का माना गया। वाद संख्या 57/2008 उनवानी श्यामसुन्दर बनाम भूरा में वादी श्यामसुन्दर ने खसरा नंबर 625 रकबा 0.13 हैक्टेयर भूमि की कब्जा खातेदारी प्रतिवादी संख्या 3 सोन्या पुत्र नानूडा की होना अंकित किया है। इस दावे का प्रतिवादी भूरा ने इ[illegible] दावा न्यायालय के समक्ष पेश किया है तथा [illegible] खातेदार सोन्या पुत्र नानूडा को [illegible] जारी करने की प्रार्थना की जिस पर न्यायालय ने दिनांक [illegible].2009 को डिक्री पारित की, तथा दिनांक 06.04.2010 को विभाजन की डिक्री पारित की हैं। वादी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:18:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 सोन्या की भूमि खसरा नंबर 625 रकबा 0.13 हैक्टेयर
बाबत् कोई वादकारण पैदा नही होता है जिससे वादी का वाद बार्ड बाई लॉ
होने के कारण खारिज किये जोन योग्य हैं। अन्यथा न्याय प्रक्रिया को
अन्तहीन प्रक्रिया में तब्दील कर दिया जायेगा। खसरा नंबर 625 बाबत् पूर्व में
इसी न्यायालय द्वारा उन्ही पक्षकारों के मध्य उसी वादकारण पर निर्णय
दिनांक 29.06.2009 को प्राथमिक डिक्री व दिनांक 06.04.2010 को अन्तिम
डिक्री किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद "रेस जुडीकेटा" के
सिद्वान्त से बाधित है जो बार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज फरमाये जाने
योग्य है।

अप्रार्थी/वादी को जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पेश किये जाने हेतु
अनेक अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही किये
जाने पर जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बंद किया गया।

बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पर वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील
अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने
का अनुरोध किया व वाद मेरिट पर निर्णित करने हेतु निवेदन किया। वकील
प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी वाद खारिज किये
जाने हेतु निवेदन किया। व न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2006(1) पेज 175 पेश
किये।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली का मय प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1
की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात व न्यायिक दृष्टांत अवलोकन
किया गया। वादी भूरा पुत्र जुगल्या द्वारा बाबत् घोषणा, दुरूस्ती इंद्राज व
स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट 1955 प्रस्तुत कर
निवेदन किया कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 डिक्री किया
जाकर घोषणा इस अमर की कि जावे कि वादी अपनी खातेदारी के खसरा
नंबर 628 रकबा 0.08 हैक्टेयर व खसरा नंबर 878/635 रकबा 0.05 हैक्टेयर
के एवज में प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी के खसरा नंबर 625 रकबा 0.13
हैक्टेयर व वादी अपनी खातेदारी के खस[illegible]9/636 रकबा 0.70
हैक्टेयर में से 0.57 है[illegible] की खातेदारी के
खसरा नंबर 624 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा [illegible]881/625 रकबा 0.19
हैक्टेयर, खसरा नंबर 82[illegible] किता 3 कुल रकबा 0.
57 हैक्टेयर वाकै ग्राम दहमीखुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर का खातेदार
है। जबकि वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 16:18:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात इस न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2009 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी के खसरा नंबर 625 रकबा 0.13 हैक्टेयर की खातेदारी की घोषणा अपने नाम करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है जबकि उक्त खसरा नंबर 625 रकबा 0.13 हैक्टेयर की खातेदारी इस न्यायालय द्वारा ही अपने निर्णय एवम् डिक्री दिनांक 29.06.2009 वाद संख्या 2008/75 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को दी गई है। ऐसे में जब खसरा नंबर 625 रकबा 0.13 हैक्टेयर की डिक्री न्यायालय जारी की जा चुकी है तो उसी खसरा नंबर की डिक्री पुनः जारी किया जाना "रेस जुडीकेटा" के सिद्वान्त से बाधित है और प्रथम दृष्टया की बार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 11 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:18:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner